राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ.4( )परावि/जिआ/BRGF/बारहवीं पं.यो./2012–17/16 जयपुर,दिनांकः 04.01.2012

अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद – बाड़मेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूगंरपुर, झालावाड़, जैसलमेर,जालौर, टोंक, सवाईमाधोपुर, सिरोही, उदयपुर, करौली एवं प्रतापगढ़।

विषयः पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) कार्यक्रम की विकास कोष मद 12वीं पंचवर्षीय जिला योजना वर्ष 2012–17 एवं वार्षिक योजना वर्ष 2012–13 तैयार करने बाबत।

भारत सरकार के शत प्रतिशत आर्थिक सहयोग से क्रियान्वित किये जा रहे बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के तहत वर्तमान में राज्य के 13 जिलें यथा– बाड़मेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूगंरपुर, झालावाड़, जैसलमेर, जालौर,, टोंक, सवाईमाधोपुर, सिरोही, उदयपुर, करौली एवं प्रतापगढ़ चयनित है। कार्यक्रम के तहत विकास कोष मद एवं क्षमता निर्माण मद में राशि उपलब्ध करवाई जाती है। विकास कोष मद की राशि का उपयोग आधारभूत ढांचे में व्याप्त अन्तराल को दूर करने हेतु विभिन्न विकास कार्यो के क्रियान्वयन हेतु किये जाने के प्रावधान है।

कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों में आधारभूत ढांचे में व्याप्त अन्तराल को चिन्हिकरण करने हेतु विकेन्द्रीकृत आयोजना के तहत एक निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ग्राम/वार्ड स्तर की आवश्यकताओं का आंकलन करने की अपेक्षा की गई है जिसके अनुसरण में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की विकास कोष वार्षिक योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

12वीं पंचवर्षीय बी.आर.जी.एफ. विकास कोष योजना वर्ष 2012–17 एवं वार्षिक योजना वर्ष 2012–13 को चालू वित्तीय वर्ष में ही भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाना हैं। कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा जारी मूल मार्गदर्शिका एवं भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर योजना निर्माण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशानुसार (जिनकी प्रति आपको समय–समय पर उपलब्ध कराई जा चुकी है) वार्ड सभा/ग्राम सभाओं से प्रस्ताव लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012–17 एवं वार्षिक योजना वर्ष 2012–13 का इन दिशा–निर्देशों में उल्लेखित कार्य योजना अनुसार निर्माण किया जाना है। इस सम्बन्ध में जिला परिषद स्तर पर निम्न कार्यवाही अपेक्षित हैः–

(अ) कार्यक्रम के विकास कोष मद के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजनाओं के लिये भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशिः–

भारत सरकार द्वारा बी.आर.जी.एफ. विकास कोष के तहत राज्य को उपलब्ध होने वाली राशि को वित्तीय वर्ष 2011–12 से संशोधित किया गया है जिसके अनुसार चयनित जिलों को प्रतिवर्ष उपलब्ध होने वाली राशि का विवरण सारणी में अंकित है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिये उक्त सीलिंग राशि रूपये 27745.00 लाख की 5 गुणा राशि (1387.25 करोड़) उपलब्ध होना संभावित है।

क्रम संख्या	जिले का नाम	सम्भावित आंवटन (प्रतिवर्ष लाख रूपयों में)			
		सामान्य वर्ग	अनुसूचित जन जाति उपयोजना	अनुसूचित जाति उपयोजना	योग
1	बांसवाड़ा	403.30	1243.10	73.60	1720.00
2	बाड़मेर	3000.90	231.70	603.40	3836.00
3	चित्तोड़गढ़	1037.00	345.80	223.20	1606.00
4	डूंगरपुर	493.20	1046.15	66.65	1606.00
5	करौली	979.40	402.20	416.40	1798.00
6	जैसलमेर	3404.60	233.40	621.00	4259.00
7	झालावाड़	1318.80	219.10	285.10	1823.00
8	जालौर	1651.80	197.40	406.80	2256.00
9	सवाई माधोपुर	985.30	363.80	336.90	1686.00
10	सिरोही	923.25	407.55	315.20	1646.00
11	टोंक	1313.90	230.20	367.90	1912.00
12	उदयपुर	1179.50	1223.80	153.70	2557.00
13	प्रतापगढ़	478.30	478.80	82.90	1040.00
योग		**17169.25**	**6623.00**	**3952.75**	**27745.00**

(ब) 12वीं पंचवर्षीय जिला योजना वर्ष 2012–17 एवं वार्षिक योजना वर्ष 2012–13 के लिये निर्धारित सांकेतिक राशि का स्थानीय निकायों को वितरण करना।

कार्यक्रम के तहत गठित उच्चाधिकार समिति के निर्णय अनुसार उक्त राशि का वितरण जिले की नगरनिकायों/पंचायती राज संस्थाओं को निम्न मानदण्डानुसार किया जायेगा :

- जिलें के लिये निर्धारित सीलिंग के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में राशि का वितरण जनसंख्या वर्ष 2011 (जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं होने की स्थिति में जनगणना 2001 के अनुसार) की ग्रामीण एवं शहरी आबादी के अनुपात में किया जावेगा।
- ग्रामीण क्षेत्र को तद्नुसार उपलब्ध होने वाली राशि में से जिला परिषद को 10 प्रतिशत, पंचायत समितियों के लिये 15 प्रतिशत एवं शेष 75 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतों को आंवटित की जावेगी।
- पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के लिये आरक्षित राशि का वितरण पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जा सकेगा। इसी प्रकार नगरनिकायों के लिये आरक्षित राशि का वितरण वार्डों में उनकी जनसंख्या के अनुसार किया जावेगा।

(स) कार्यो का चयन

1. पंचायतें और शहरी स्थानीय निकाय इस धन राशि का उपयोग संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची के अनुसार उन्हें सौपें गये किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं। इस धन राशि का उपयोग धार्मिक स्थलों या ऐसे स्थलों के परिसर में इमारतों के निर्माण, स्वागत द्वार बनाने या फिर किसी व्यक्ति अथवा परिवार को सहायता देने में नहीं किया जा सकता।
2. कार्यो के चयन में कार्यक्रम के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखा जावे। उच्चाधिकार प्राप्त समिति की विगत बैठको में लिये गये निर्णयों के अनुसार गैर अनुमत कार्यो को आगामी योजनाओं में भी सम्मिलित नही किया जावे।
3. कार्यक्रम के तहत गत वर्षो के प्रगतिरत कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक अतिरिक्त राशि के प्रस्ताव प्राथमिकता से योजनाओं में सम्मिलित किये जावें।
4. कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति वर्ग के लिये पृथक कोष आरक्षित किये गये है अतः ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद/नगरनिकाय स्तर पर विकास कार्यो के प्रस्ताव लिये जाने के समय इन वर्गो की जनसंख्या को दृष्टिगत रखा जावे एवं जनसंख्या प्रतिशतता के अनुरूप इन वर्गो के लिये विकास कार्यो के प्रस्ताव आवश्यक रूप से लिये जावें।
5. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपेक्ष्य में योजना निर्माण में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जावे साथ ही महिलाओं से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यों का पृथक से अंकन किया जावें।
6. बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम को अन्य योजनाओं यथा नरेगा आदि से डवटेल के क्रम में इस प्रकृति के कार्यो को विकास योजना में सम्मिलित करने हेतु अधिकाधिक प्रयास किये जाने चाहिये। नरेगा योजनान्तर्गत निर्मित ग्रेवल सड़क को बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के तहत डामरीकृत करवाया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य कार्य भी आवश्यकतानुसार प्रस्तावित किये जावे।

(द) चयन की प्रक्रिया

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/नगरनिकाय को उपलब्ध होने वाली राशि का जिला परिषद स्तर पर आंकलन करते हुए उक्त निकायों को अवगत कराया जावेगा। प्रत्येक निकाय द्वारा उपलब्ध होने वाली राशि के डेढ़ गुणा राशि के कार्य प्रस्तावित किये जा सकेगे।
2. कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों को उपलब्घ होने वाली राशि एवं कार्यक्रम के तहत कार्यो के चयन हेतु जारी दिशा–निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम सभाओं के माध्यम से कार्यो के प्रस्ताव प्राप्त किये जावेंगे। ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाली राशि से ग्राम सभा के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों को ही क्रियान्वित कराया जा सकेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा उपरोक्त प्रस्तावों को पंचायत समितियों को प्रेषित किया जावेगा।
3. पंचायत समितियों द्वारा ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों एवं पंचायत समिति के प्रस्तावों के आधार पर पंचायत समिति स्तरीय योजना का प्रारूप तैयार किया जावेगा। पंचायत समिति स्तरीय योजना की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी

i. पंचायत समिति को प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों के अनुरूप विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराने हेतु किया जा सकेगा। इस राशि के उपयोग में प्राथमिकता ऐसे वृहद स्तर के कार्यो के क्रियान्वयन पर दी जावेगी जिसमें एक से अधिक ग्राम पंचायतों की हितभागिता हो। कार्यो का चयन, पंचायत समिति की साधारण सभा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुए पंचायत समिति स्तरीय योजना का प्रारूप तैयार किया जावेगा।

ii. पंचायत समिति की साधारण सभा, ग्राम सभाओं द्वारा प्राप्त प्रस्तावों में संशोधन करने हेतु सक्षम नही होगी तथापि ग्राम पंचायतों द्वारा प्रेषित प्रस्तावों का तकनीकी परीक्षण (पंचायत समिति स्तर पर गठित समिति के द्वारा) करने के उपरान्त औचत्यपूर्ण नही पाये गये प्रस्तावों को हटा सकेगी। ऐसी स्थिति में यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को उपलब्ध होने वाली राशि के डेढ गुणा राशि के समतुल्य प्रस्ताव योजना प्रारूप में सम्मिलित हों। पर्याप्त राशि के प्रस्ताव अवशेष नही होने की स्थिति में पंचायत समिति द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित अन्य कार्य भिजवाने हेतु लिखा जावेगा एवं ऐसे प्रस्तावों को निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए योजना प्रारूप में सम्मिलित कर लिया जावेगा।

iii. पंचायत समिति स्तरीय विकास योजना का ड्राफ्ट प्लान प्लस साफ्टवेयर के तहत निर्धारित प्रपत्रों में किया जावेगा। इस क्रम में योजना का प्रारूप तैयार करने हेतु पंचायत समिति स्तर पर तकनीकी संस्थाओं की सेवायें ली जा सकेगी। इन सेवाओं पर होने वाले व्यय का भुगतान पंचायत समितियों को क्षमता निर्माण मद के तहत योजना निर्माण हेतु उपलब्ध करवाई गई राशि 10. 00 हजार में से किया जावेगा।

उपरोक्तानुसार तैयार पंचायत समिति योजना के प्रारूप को जिला परिषद को प्रेषित किया जावेगा।

4. जिला स्तरीय योजना का निर्माण निम्नानुसार किया जावेगाः–

i. जिला परिषद को प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य कराने हेतु किया जा सकेगा। इस राशि के विरूद्व जिला परिषद द्वारा कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित कराये जा रहे वृहद स्तरीय कार्य यथा–हॉस्टल निर्माण, डेयरी निर्माण आदि को पूर्ण कराने हेतु आवश्यक राशि के प्रस्ताव प्राथमिकता से प्रस्तावित किये जावेगें। द्वितीय प्राथमिकता ऐसे वृहद स्तर के कार्यो के क्रियान्वयन पर दी जावेगी जिसमें एक से अधिक पंचायत समितियों की हितभागिता हो। कार्यो का चयन, जिला परिषद की साधारण सभा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्तानुसार पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुए जिला स्तरीय योजना का प्रारूप तैयार किया जावेगा।

ii. जिला परिषद की साधारण सभा, ग्राम सभाओं एवं पंचायत समितियों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों में संशोधन करने हेतु सक्षम नही होगी परन्तु पंचायत समिति के स्तर पर लिये गये प्रस्तावों का तकनीकी परीक्षण (जिला स्तर पर गठित समिति के द्वारा) करने के उपरान्त औचत्यपूर्ण नही पाये गये प्रस्तावों को हटा

सकेगी। ऐसी स्थिति में यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि जिले की प्रत्येक पंचायत समिति को उपलब्ध होने वाली राशि के डेढ गुणा राशि के समतुल्य प्रस्ताव योजना प्रारूप में सम्मिलित हों। पर्याप्त राशि के प्रस्ताव अवशेष नही होने की स्थिति में जिला परिषद द्वारा सम्बन्धित पंचायत समिति को पंचायत समिति की साधारण सभा द्वारा अनुमोदित अन्य कार्य भिजवाने हेतु लिखा जावेगा एवं ऐसे प्रस्तावों को निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए योजना प्रारूप में सम्मिलित कर लिया जावेगा।

iii. जिला स्तरीय विकास योजना का ड्राफ्ट प्लान प्लस साफ्टवेयर के तहत निर्धारित प्रपत्रों में किया जावेगा। इस क्रम में योजना का प्रारूप तैयार करने हेतु जिला स्तर पर तकनीकी संस्थाओं की सेवायें ली जा सकेगी। इन सेवाओं पर होने वाले व्यय का भुगतान पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करने हेतु जिला परिषदों को उपलब्ध करवाई गई राशि रूपये 10 लाख में से किया जा सकेगा।

5. नगरनिकायों को उपलब्ध होने वाली राशि को वार्डो के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में काल्पनिक वितरण करते हुए, उक्तानुसार आंकलित राशि के विरूद्व डेढ़ गुणा राशि के प्रस्ताव वार्ड सभाओं के माध्यम से प्राप्त किये जावेगे। इन प्रस्तावों को सम्बन्धित नगरनिकाय की साधारण सभा से अनुमोदन उपरान्त जिला परिषद को प्रेषित किया जावेगा जिन्हें जिला परिषद द्वारा जिले की वार्षिक योजना में सम्मिलित किया जावेगा।

6. भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जिले को राशि का आवंटन एस.सी./एस.टी. एवं सामान्य वर्ग के लिये पृथक पृथक किया जा रहा है। जिला स्तर पर कार्यक्रम के तहत वार्षिक योजना के प्रारूप में इन वर्गो के लिये प्रस्तावित कार्यो को अनुसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति उप योजनाओं में अंकित करते हुए संलग्न किया जावेगा।

7. योजना में विकास कार्यो को सम्मिलित करने एवं योजना प्रारूप के अनुमोदन हेतु आयोजित की गई ग्राम सभाओं की बैठकों का कार्यवाही विवरण आवश्यक रूप से तैयार किया जावेगा एवं कार्यवही विवरण की प्रति पंचायत समिति स्तर पर रखी जावेगी। इसी प्रकार पंचायत समिति/जिला परिषद की साधारण सभा एवं जिला आयोजना समितियों की आयोजित होने वाली बैठकों के कार्यवाही विवरण की प्रति जिला परिषद के स्तर पर रिकार्ड के रूप में संरक्षित रखी जावेगी।

8. जिला आयोजना समिति द्वारा अनुमोदन:

i. जिला परिषद के स्तर पर उक्तानुसार तैयार की गई वार्षिक योजना के प्रारूप को जिला आयोजना समिति से अनुमोदित करवाया जावेगा।

ii. जिला आयोजना समिति योजना में प्रस्तावित कार्यो के स्थान पर अन्य कार्य को सम्मिलित करने अथवा नवीन कार्यो को योजना प्रारूप में जोड़ने हेतु सक्षम नही होगी परन्तु योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप नही पाये गये अथवा दोहराव (Duplicate) वाले कार्यो को योजना प्रारूप में से हटा सकेगी।

iii. ऐसी स्थिति में जिला आयोजना समिति अवशेष कार्यो को अनुमोदित करते हुए अग्रेषित कर सकेगी अथवा हटाये गये कार्यो के स्थान पर योजना के

दिशा–निर्देशों के अनुरूप अन्य कार्यों को सम्मिलित करने हेतु सम्बन्धित निकाय को निर्देशित कर सकेगी।

(य) समंको को प्लान–प्लस में दर्ज करना

भारत सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012–17 एवं वार्षिक योजना वर्ष 2012–13 को प्लान–प्लस के माध्यम से ही स्वीकार किया जावेगा। अतः बारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012–17 एवं वार्षिक योजना वर्ष 2012–13 के समंको को प्लान–प्लस सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाना है।

(र) 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012–17 एवं वार्षिक योजना वर्ष 2012–13 तैयार करने हेतु कार्य योजना

योजना निर्माण हेतु समयबद्व कार्यक्रम निम्ननुसार होगाः–

क्र. सं.	विवरण	दिनांक	उत्तरदाई अधिकारी
1	2	3	4
1	ग्राम सभा/वार्ड सभा के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त कर पंचायत समिति को अग्रेषित करना।	16.01.2012 तक	ग्राम सेवक व विभागों के ग्राम स्तरीय कर्मचारी
2	पंचायत समिति स्तरीय योजना का निर्माण एवं जिला परिषद को अग्रेषित करना	31.01.2012 तक	उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी व संबंधित विभागों के ब्लाक स्तरीय अधिकारी
3.	नगरनिकायों द्वारा योजना का निर्माण एवं जिला परिषद को अग्रेषित करना	31.01.2012 तक	सम्बन्धित नगरनिकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
3	जिला स्तरीय योजना का निर्माण	15.02.2012 तक	जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य आयोजना अधिकारी
4	जिला आयोजना समिति द्वारा योजना का अनुमोदन	29.02.2012 तक	जिला कलेक्टर/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य आयो. अधिकारी
5	विभाग को योजना अग्रेषित करना	05.03.2012 तक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य आयोजना अधिकारी

उक्त दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम की बारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012–17 एवं वार्षिक योजना वर्ष 2012–13 तैयार की जाकर जिला आयोजना समिति से अनुमोदित करवाकर विभाग को निर्धारित अवधि में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। जिला वार्षिक योजना प्रारूप के साथ जिला आयोजना समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण भी संलग्न किया जावे।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महादेय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, विशिष्ट सचिव, पंचायती राज मंत्रालय,जीवन प्रकाश भारतीय जीवन बीमा निगम भवन, 11वॉ तल, के.जी मार्ग कनॉट पैलेस नई दिल्ली 110001।
3. जिला प्रमुख एवं अध्यक्ष, जिला आयोजना समिति, जिला परिषद बाड़मेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूगंरपुर, झालावाड़, जैसलमेर,,जालौर, टोंक, सवाईमाधोपुर, सिरोही, उदयपुर,, करौली एवं प्रतापगढ ।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. जिला कलेक्टर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूगंरपुर, झालावाड़, जैसलमेर,,जालौर, टोंक, सवाईमाधोपुर, सिरोही, उदयपुर,, करौली, प्रतापगढ, को प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया ग्राम सभाओं में कार्यो के प्रस्ताव लिये जाने के सम्बंन्ध में उक्त दिशा–निर्देशों की पालना कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाड़मेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूगंरपुर, झालावाड़, जैसलमेर, जालौर, टोंक, सवाईमाधोपुर, सिरोही, उदयपुर, करौली, प्रतापगढ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला परिषद बाड़मेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूगंरपुर,, झालावाड़, जैसलमेर, जालौर, टोंक, सवाईमाधोपुर,, सिरोही, उदयपुर, करौली, प्रतापगढ को भेजकर लेख है कि योजना निर्माण प्रक्रिया में जिला कलेक्टर एवं अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के निकटतम सम्पर्क में रहकर यथाशीध्र अपेक्षित कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

शासन उप सचिव
(जिला आयोजना)